अशोधित तेल का आयात

*37. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सितम्बर, 1977 के अन्तिम सप्ताह में भारत और सोवियत संघ के बीच हुए करार के अनुसार प्रति वर्ष सोवियत संघ से कितना अशोधित तेल आयात किया जायेगा और रुपयों में इसका प्रति टन मूल्य क्या है ; और

(ख) वर्ष 1978 में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात से अलग अलग कितना अशोधित तेल आयात किया जायेगा और प्रत्येक मामले में प्रति टन कितना मूल्य दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) भारत सरकार और सोवियत संघ की सरकार के बीच सितम्बर, 1977 के अन्तिम सप्ताह में मास्को में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1978—80 की अवधि के बीच प्रत्येक वर्ष में सोवियत संघ से 1.5 मिली०मी० टन अशोधित तेल आयात करने की व्यवस्था है । तेल आयातों का भुगतान भारत द्वारा माल को निर्यात करके किया जायेगा । वर्ष 1978 के दौरान अशोधित तेल की पूर्ति हेतु दोनों देशों के सम्बन्धित संगठनों के बीच औपचारिक संविदा बाद में किया जायेगा । उस मूल्य का संकेत देना जिस पर सोवियत संघ से अशोधित तेल आयात किया जायेगा, इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) के अपने वाणिज्यिक हित में नहीं होगी और अन्तर-राष्ट्रीय प्रक्रिया के भी प्रतिकूल होगा ।

(ख) आई ओ सी ने वर्ष 1978 के दौरान ईराक से 3 मिली० मी० टन अशोधित तेल की पूर्ति के लिए ईराकी नेशनल आयल कम्पनी के साथ हाल ही में एक ठेका किया है । उस मूल्य का यहां उल्लेख करना, जिस पर ईराक से अशोधित तेल आयात किया जायेगा, आई ओ सी के अपने वाणिज्यिक हित में नहीं होगा और अन्तरराष्ट्रीय प्रक्रिया के विरुद्ध होगा । वर्ष 1976 के दौरान कुवैत से अशोधित तेल के आयात करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । वर्ष 1978 के दौरान अन्य देशों से अशोधित तेल की पूर्ति हेतु व्यवस्था सम्बन्धी समझौता वार्ता भिन्न-भिन्न स्तरों पर है ।

Strike by Workers of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited Rishikesh

*38. SHRI SHIV SAMPATI RAM:

SHRI SURENDRA BIKRAM:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the workers of the Antibiotics plant of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Rishikesh went on indefinite strike in August, 1977;

(b) if so, the loss suffered as a result thereof;

(c) the number of workers who went on strike and the reasons for the strike; and the period for which the strike continued; and

(d) the steps proposed to be taken to avert such crisis in future?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The workers of the Antibiotics Plant, Rishikesh started a hunger strike on the 2nd August, 1977 followed by a strike from 8th to 27th August, 1977 which was declared illegal by the State Government.

(b) Due to the illegal strike the company suffered a total direct loss of Rs. 23.26 lakhs on drainage of material in fermentors and non-utilisation of services. In addition, a loss of Rs 96.87 lakhs was suffered due to restricted and low production efficiencies.

(c) 3536 workers went on strike. The strike was started by the Unions to press their demands like payment of bonus revision of pay-scales, promotion policy and other issues like payment of wages for previous periods of illegal strike, regularisation of all muster roll and canteen employees. The strike was called off un-conditionally by workers on 27th August, 1977.

(d) As stated, the strike was illegal. However, a Negotiation Committee with the representatives of the Management and Unions has been set-up to look into all the outstanding issues.

Confirmation of sons and daughters of loyal Railway Employees in their posts

*39. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any representation has been made to him to exempt sons and daughters of those loyal Railway employees who did not participate in 1974 strike and were appointed as clerks in the various offices of the Divisional Superintendent and Head Quarter of the Zonal Railways after having undergone both written and oral tests, to exempt them from appearing before the Railway Service Commission before they are confirmed in their present posts; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes Sir.

(b) For such appointments a quota of 20 per cent of vacancies which arose between February 1974 and December 1975, was prescribed by the previous Government. Those appointed against this quota will not be subjected to any further screening. It is only where appointments in excess of this number have been made on an ad-hoc basis, that the candidates have been asked to apply to the Railway Service Commission for regularisation of their appointments.

निर्धन लोगों को कम खर्च पर न्याय दिलाने की योजना

*40. **श्री राम प्रसाद देशमुख :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस आशय की कोई योजना बना रही है कि गरीब लोगों को न्याय कम खर्च पर मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सरकार का आशय यह सुनिश्चित करना है कि निर्धनों को न्याय आसानी से उपलब्ध हो सके। इस संबंध में एक समिति ने, जिसके अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती और सदस्य, न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर थे, सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अभी तक कोई स्कीम तैयार नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।